संख्या:149/2019/412/35-4-2019

प्रेषक ,

आर0एन0एस0यादव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बाराबंकी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 18 फरवरी,2019

विषय: मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में रू.5.00 करोड़ के कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बाराबंकी की विधान सभा क्षेत्र-हैदरगढ़ से संबंधित कार्यो हेतु रू. 500.00 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 500.00 (रूपये पॉच करोड़ मात्र), की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित विवरण तथा शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यो के लिये कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग होगी:-

(लाख रू.में)

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
1	हैदरगढ़	ग्राम भठिया मजरे पोखरा के अंतर्गत बस्तीगंज सम्पर्क मार्ग से रितपाल रावत के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य	0.100	7.88	7.88
2	हैदरगढ़	ग्राम देवीपुर में रामसागर वर्मा के दरवाजे से शंकर जी के मंदिर तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य	0.220	14.05	14.05
3	हैदरगढ़	ग्राम बेलवा मजरे बहुता में रामबहादुर रावत के दरवाजे से शम्भू रावत के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य	0.130	11.38	11.38
4	हैदरगढ़	ग्राम मनोधरपुर में डामर रोड से सूर्यपाल गौतम के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य	0.220	16.16	16.16
5	हैदरगढ़	ग्राम बहुता में राजन शुक्ला के घर से गांधी चबूतरा तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य	0.125	9.29	9.29
6	हैदरगढ़	ग्राम पोखरा के अंतर्गत महाराजगंज डामर रोड से बाबा कार्यदेव जी महाराज मंदिर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य	0.208	16.63	16.63
7	हैदरगढ़	महाराजगंज रोड से चीनी मिल-मिर्दापुर सम्पर्क मार्ग से शीतला माता मंदिर मेला स्थल तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य	0.06	5.98	5.98
8	हैदरगढ़	ग्राम फतेहपुर जमरवा में सौरभ सिंह प्रधान के दरवाजे से कारेदेव बाबा की तरफ 200 मी0 इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य	0.200	16.26	16.26
9	हैदरगढ़	विकास खण्ड सिद्धौर के ग्राम कुम्हरावां में हनुमान मंदिर से रामविलास के दरवाजे तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य	0.135	12.60	12.60

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
10	हैदरगढ़	ग्राम थरी मजरे सैदनपुर में भुईहारे बाबा देवस्थान के पास सड़क से राधेलाल वर्मा के दरवाजे तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य	0.275	28.51	28.51
11	हैदरगढ़	ग्राम कादीपुर के अंतर्गत हैदरगढ़-भिटरिया मार्ग से प्राथमिक विद्यालय कादीपुर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य	0.145	13.16	13.16
12	हैदरगढ़	ग्राम कादीपुर के अंतर्गत हैदरगढ़-भिटरिया मार्ग से सत्यनाम के दरवाजे तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य	0.143	13.03	13.03
13	हैदरगढ़	ग्राम चांदपुर के उत्तर डामर रोड से सुरेश यादव के घर होते हुए ग्राम सचिवालय तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य	0.243	14.19	14.19
14	हैदरगढ़	विकास खण्ड हैदरगढ़ में ग्राम बम्हरौली के अंतर्गत रामबक्श के होटल के बगल डामर रोड के पास से रामदेव वर्मा के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य	0.070	5.92	5.92
15	हैदरगढ़	ग्राम बम्हरौली के अंतर्गत हनुमान लोधी के दरवाजे से राम प्रताप (राम प्रसाद) के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य	0.125	10.40	10.40
16	हैदरगढ़	ग्राम किर्सिया में सड़क से सूर्यभान सिंह के दरवाजे तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य	0.118	11.11	11.11
17	हैदरगढ़	ग्राम अन्दूपुर मजरे अंसारी के अन्तर्गत समेरौता डामर रोड से कृष्ण कुमार उर्फ मुन्नू सिंह के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य	0.360	21.81	21.81
18	हैदरगढ़	ग्राम गोसाईगंज मजरे दान्दूपुर के अंतर्गत सोनू गिरी के दरवाजे से रमेश गिरी के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य	0.073	5.55	5.55
19	हैदरगढ़	ग्राम खोहली शरीफाबाद में डामर रोड से डा0 रामपदारथ तिवारी के दरवाजे तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य	0.100	9.45	9.45
20	हैदरगढ़	ग्राम समनामऊ मजरे ओहरामऊ के अंतर्गत कमेला चैबीसी मार्ग से ग्राम समनामऊ तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य	0.081	7.68	7.68
21	हैदरगढ़	ग्राम मल्लाहनपुरवा मजरे शरीफाबाद में चकौरा सम्पर्क मार्ग से सालिकराम तिवारी के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य	0.300	18.62	18.62
22	हैदरगढ़	ग्राम रानीपुर में बाबा टीकाराम रोड से स्व0 उमाशंकर मिश्र के घर की ओर इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य	0.250	16.69	16.69
23	हैदरगढ़	ब्लाक त्रिवेदीगंज के अंतर्गत पैकौली चौराहा नहर पटरी से लखनऊ सीमा ग्राम चैराहपुर तक डामर रोड का निर्माण कार्य	0.60	42.45	42.45
24	हैदरगढ़	वि0ख0 हैदरगढ़ में पाण्डेपुरवा मजरे कोलवा से अमरबहादुर के पालेसर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	0.760	51.52	51.52
25	हैदरगढ़	सिद्धौर ब्लाक के अंतर्गत पूरब बेलांव से सराय सालिम तक डामर रोड का निर्माण कार्य	1.320	119.68	119.68
		योग वि0स0 क्षेत्र हैदरगढ़	**6.361**	**500.00**	**500.00**

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से संबंधित उक्त कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मुख्यालय स्तर तथा क्षेत्रीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल पर सुसंगत सूचनाओं को अंकित करते हुये नियमित रूप से प्रगति विवरण भरा जायेगा।

4- कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि अनुमन्य नहीं है।

5- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न (Significantly different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

7- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

8- ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

9- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

10- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

11- परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

13- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2019 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती ह तो उसे 31 मार्च, 2019 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2019 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

15- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

16- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा ।

17- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

18- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

19- समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

20- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21- कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-10 के अनुसार मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

22- मा0 मुख्यमंत्री जी की प्रश्नगत घोषणा से संबंधित कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग ह॥ अतः स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल आदि के माध्यम से किया जायेगा।

23- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्बंधित ग्रामीण/नगरीय निकाय को हस्तान्तरित की जायेगी। संबंधित निकाय द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

2- उपर्युक्त कार्यों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0305-लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया ह॥ अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही ह॥।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती ह॥।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:149/2019/412(1)/35-4-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा।
7- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
8- मण्डलायुक्त, फ़र्रुखाबाद।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/मुख्य अभिन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
10- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बाराबंकी।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बाराबंकी।
14- अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,बाराबंकी।
15- अनुसचिव,मुख्यमंत्री घोषणा-प्रकोष्ठ।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया ह अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही ह।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती ह।